

उत्तर /Ans:

शीर्षक : एल-1 से वार्ता पर प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के नवीन अनुदेशों के कार्यान्वयन में व्याख्यात्मक बाधाओं का समाधान ।

Title:- Resolution of interpretational hurdles in the implementation of CVS's fresh instruction on negotiations with LI-issue of clarifications by the Pr. IFA.

बिन्दुओं का सार / Summary of Points

- एकीकृत वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय) दक्षिणी कमान से प्राप्त संदर्भ के साथ-साथ प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार के दिनांक 12.10.2007 के पत्र द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यह उचित टीपीसी/पीएनसी का निर्णय होगा कि किसी विशेष मामले में वार्ता करना अथवा नहीं करना चाहिए । वार्ता में राज्य - हित की रक्षा तथा प्रदत्त कीमत की युक्तियुक्तता मार्गदर्शक सिद्धान्त होने चाहिए । तदनुसार विभिन्न अधिशासी प्राधिकारियों के साथ-साथ वित्त अधिकारियों को इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन शुरू कर देना चाहिए ।

On receipt of a reference from IFA (HQR) SC, it was interalia clarified by Pr. IFA vide his letter dated 12.10.07 that is for the appropriate TPC/PNC to decide whether negotiations in a particular case are to be held or not, the guiding principal being the protection of the interest of the state and the reasonableness of the price paid. Accordingly, various Executive Authorities as well as the Finance officials start complying with these guidelines.

- दिनांक 3.3.2007 के अपने परिपत्र के तहत केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने नवीन अनुदेश जारी किए जिसमें कुछ अपवादी परिस्थितियों जैसे स्वाम्य मर्दों, आपूर्ति के सीमित स्रोत वाले मर्दों तथा जहां उत्पादक-संघ रचना का संदेह हो, वैसी मर्दों के प्रापण को छोड़कर एल 1 बोली लगाने वाले के साथ उत्तर-निविदा वार्ता को निषिद्ध किया है ।

CVC vide its circular dated 3.3.2007 issues fresh instruction barring post tender negotiations with the LI bidder except in certain exceptional circumstances, such as procurement of proprietary items, items with limited sources of supply and items where cartel formation is suspected.

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों को रक्षा मंत्रालय (वित्त) द्वारा तीनों सेना प्रमुख के साथ-साथ विभिन्न अन्य अधिशासी प्राधिकारियों तथा एकीकृत वित्तीय सलाहकार आदि को अशासकीय नोट जारी कर प्रभावी बनाया गया जिसमें यह निदेश दिया गया कि इनका बारीकी से अनुसरण किया जाए ।

The instructions of CVC are given effect to by the Mod (Finance) by issuing a UO Note to the three services Chiefs as well as to various other Executives Authorities and IFA's etc. with decision that these should be followed scrupulously.

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी अनुदेशों तथा रक्षा मंत्रालय (वित्त) के निदेशों के अनुसरण में मुख्यालय दक्षिणी कमान में अधिशासी प्राधिकारियों का यह मत है कि प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार के दिनांक

12.01.2007 द्वारा जारी स्पष्टीकरण अधिक्रमित माना जाएगा तथा एल 1 के साथ कोई भी वार्ता नहीं की जा सकती जबकि एकीकृत वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय) दक्षिणी कमान का यह विचार है कि प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार के दिनांक 12.1.07 के पत्र में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्त के परिधि में एल 1 से वार्ता की जा सकती है।

Pursuant to issue of instructions by the CVC and the direction by Mod (Finance), Executive Authorities in HQrs SC take the stand that clarifications given by the Pr. IFA vide letter dated 12.01.07 stand superseded and that no negotiations can be held at all with the LI whereas the IFA, HQ SC holds the view that the negotiations can still be held with the LI within the ambit of the guiding principal laid down by the Pr. IFA in its letter dated 12.1.07

- अधिशासी प्राधिकारियों तथा एकीकृत वित्तीय सलाहकार के विचारों में मतभेद के कारण परवर्ती को व्यक्तिगत मामलों के निपटान में उलझन पैदा करता है तो वे प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार को मामलों के समाधान तथा नवीन दिशा-निर्देश जारी करने हेतु प्रस्तुत करते हैं।

As the divergence of views between the Executives Authorities and the IFA begins to cause embarrassment to the latter in the disposal of individual cases, he refers the matter to the Pr. IFA for its resolution and issue of fresh guidelines.

- उक्त पत्र में एकीकृत वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय) दक्षिणी कमान कुछ ऐसे मामलों का भी उल्लेख करते हैं जहां एकीकृत वित्तीय सलाहकार (सेना/ एम) नई दिल्ली ने पुनर्वार्ता की मांग की है तथा चाहते हैं कि ऐसी मांग की वैधता तथा मान्यता की जानकारी दी जाए जहां केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर स्वयं वार्ता ही निषिद्ध की गई हो। उन्होंने इस पत्र की प्रतिलिपि को सभी एकीकृत वित्तीय सलाहकारों को पृष्ठांकित किया है ताकि वे अपने विचार सीधे प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार को संप्रेषित कर सकें।

In the same letter the IFA, HQr. SC also refers to certain cases where IFA (Army/M) New Delhi has demanded re-negotiation and seeks to know the legality and validity of such a demand when the negotiation itself have been barred by the CVC except in certain specified circumstances. He also endorses a copy of this letter to all the IFA's for communicating their views directly to the Pr. IFA.

- प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार को अपने उत्तर में एकीकृत वित्तीय सलाहकार (सेना/ एम) ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों को उचित बताया है तथा एकीकृत वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय) दक्षिणी कमान द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के अलावा उनका यह मत है कि सेना मुख्यालय में किसी मामले को पुनर्वार्ता के लिए कमान पीएनसी को प्रत्यावर्तित करना सीएफए का स्वेच्छानिर्णय है यदि वे उस पीएनसी द्वारा पूर्व-वार्ता के तहत निर्धारित कीमत को कीफायती और उचित नहीं मानते।

In his response to the Pr. IFA, IFA (Army/M) describes the CVC guidelines as appropriate and besides giving his views on various issues raised by IFA. HQr, Sc opines that the CFA in the Army

HQrs has the discretion to revert a case to the Command PNC for re-negotiation if he does not consider the price earlier negotiated by that PNC to be economical or reasonable.

- इसके अतिरिक्त वे यह विचार व्यक्त करते हैं कि यह कहना अनुचित होगा कि यदि कमान स्तर पीएनसी द्वारा आगे वार्ता की गई हो तो वह केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होगा ।

He further expresses the view that it is inappropriate to say that CVC guidelines would be violated if further negotiations were held by the command level PNC.

- विभिन्न निविदों को ध्यान में रखते हुए प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार यह स्पष्ट करते हैं कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिनांक 03.03.2007 के अनुदेशों ने एल 1 बोली लगाने वाले के साथ उत्तर-निविदा वार्ता पर व्यापक रोध नहीं लगाया है । एकल निविदा मामलों की स्थिति, पीएसी मामले सहित, बहू-विक्रेता मामले जहां प्रस्तुत कीमत को अधिक माना गया है, जहां उत्पादक-संघ रचना संदेह हो जैसे मामलों में एल 1 बोली लगाने वाले के साथ उत्तर-निविदा वार्ता की अनुमेयता जारी है ।

After taking into account various inputs, the Pr.IFA clarifies that the CVC instructions of 3.3.07 have not put a blanket ban on post tender negotiations with the LI bidder which continue to be permissible in cases of single tender situation, including PAC cases; multi vendor cases where the offered price is considered to be high as also in cases where cartel formation is suspected.

- इसके अतिरिक्त प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार यह स्पष्ट करते हैं कि सम्बद्ध सीएनसी/ पीएनसी के लिए यह आवश्यक होगा कि वे प्रत्येक मामले में वार्ता के लिए कारणों का अभिलेखीकरण करें तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों में निर्धारित अन्य सुरक्षाओं का बारीकी से पालन करें । प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार यह अनुरोध भी करते हैं कि इन स्पष्टीकरणों को इकाइयों और संरचनाओं में आगे प्रचारित करने हेतु अधिशासी प्राधिकारियों के ध्यान में लाए ।

The Pr.IFA further clarifies that it is, however, necessary for the concerned CNC/ PNC to record reasons for negotiations in each case and scrupulously adhere to the other safeguard prescribed in CVC's instructions. The Pr. IFA also requests to bring these clarifications to the notice of the Executive Authority for further dissemination to the unit and formation.

सार / PRECIS

एल-1 से वार्ता पर प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नवीन अनुदेशों के कार्यान्वयन में व्याख्यात्मक बाधाओं का समाधान ।

Resolution of interpretational hurdles in the implementation of CVC's fresh instructions on negotiations with LI –issue of clarifications by the Pr. IFA.

एकीकृत वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय) दक्षिणी कमान ने प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार को संबोधित अपने दिनांक 27.04.2007 के पत्र में उनके कार्यालय में व्यक्तिगत मामलों के निपटान में आ रही कठिनाइयों को उजागर किया है जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिनांक 03.03.2007 के परिपत्र द्वारा जारी अनुदेशों के परिणामस्वरूप एल 1 बोली लगाने वाले के साथ वार्ता करने की अनुमेयता को लेकर दक्षिणी कमान में अधिशासी प्राधिकारियों तथा उनके कार्यालय के विचारों में मतभेद के कारण है ।

IFA HQrs. SC in his letter dated 27.04.07 addressed to the Pr. IFA, highlights the problems faced by his office in disposing of individual cases because of the divergence of views held by the Executive Authority in SC and his office with regard to the permissibility of holding negotiations with the LI bidder in the wake of instructions issued by the CVC vide its circular dated 3.3.07.

इससे पूर्व एकीकृत वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय) दक्षिणी कमान से प्राप्त संदर्भ के उत्तर में प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार द्वारा दिनांक 12.1.07 के पत्र के तहत यह स्पष्ट किया गया था कि यह उचित टीपीसी/पीएनसी का निर्णय होगा कि किसी विशेष मामले में वार्ता करना अथवा नहीं करना चाहिए । वार्ता में राज्य-हित की रक्षा तथा प्रदत्त कीमत की युक्तियुक्तता मार्गदर्शक सिद्धान्त होने चाहिए । रक्षा प्रापण नियमावली (डीपीएम), 2006 के विभिन्न प्रावधानों का संदर्भ देते हुए प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार द्वारा यह आगे स्पष्ट किया गया कि रक्षा प्रापण नियमावली (डीपीएम), 2006 के पैरा 13.5.1 में समाविष्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग के तत्कालीन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए टीपीसी/पीएनसी अपवादी परिस्थितियों तथा एल 1 के साथ वार्ता को प्राधिकृत करते वैध कारण पर विचार करें और परिस्थिति का आंकलन कर अपने विवेक का प्रयोग करें । अधिशासी प्राधिकारी के साथ-साथ वित्त दोनों ही इन दिशा-निर्देशों का तदनुसार अनुपालन कर रहे थे ।

Earlier, in response to a reference from the IFA, HQrs, SC, it was clarified by the Pr. IFA vide letter dated 12.01.07 that it was for the appropriate TPC/PNC to decide whether negotiations in a particular case were to be held or not, the guiding principle being the protection of the interest of state and the reasonableness of the price paid. Citing reference to various provisions of DPM-2006, it was further clarified by the Pr. IFA that for implementing the then existing guideline of CVC as incorporated in para 13.5.1 of DPM-2006, it was for the TPC/PNC to consider the exceptional circumstances and valid reasons which warrant negotiations with LI and then use their discretion after evaluating the situation. Both the executive Authorities, as well as the Finance were accordingly complying with these guidelines.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिनांक 03.03.2007 के परिपत्र द्वारा कुछ अपवादी परिस्थितियों को छोड़कर एल 1 बोली लगाने वाले के साथ उत्तर-निविदा वार्ता पर रोक लगाने के लिए नवीन अनुदेश जारी किए गए थे क्योंकि उनका विचार था कि ऐसी वार्ताएं भ्रष्टाचार का स्रोत बन सकती है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उल्लेखित अपवादी परिस्थितियाँ थी : स्वाम्य मर्दों, आपूर्ति के सीमित स्रोत वाले मर्दों तथा जहां उत्पादक-संघ रचना का संदेह हो, वैसी मर्दों का प्रापण। परिपत्र में एल 1 बोली लगाने वाले से किस प्रकार सीमित मात्रा में प्रापण की जाने के संबंध में अनुदेश है। इनमें ऐसे मामलों भी हैं जिनमें पुनःनिविदाकरण, तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता, विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन के लिए अधिकतम अनुमत समय, विभिन्न संस्तुतियों / निर्णयों के समर्थन में कारणों का अभिलेखीकरण, स्वयं निविदा में जहां आपूर्ति का एकाधिक स्रोत आवश्यक था वहाँ विभाजन के अनुपात का पूर्व-प्रकटीकरण, आदि सम्मिलित हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा यह स्पष्टीकरण भी दिया गया था कि जबकि एल 1 को दिया गया जवाबी प्रस्ताव वार्ता माना जाएगा, निविदा में पूर्व-प्रकटित मात्राओं के विभाजन के मामलों में उत्तरवर्ती एल 2 एवं एल 3 आदि को दिए गए जवाबी प्रस्ताव को वार्ता नहीं माना जाएगा। आयोग ने इन अनुदेशों के सख्ती से अनुपालन के लिए निदेश भी दिए हैं।

However, CVC vide its circular dated 3.3.07 issued fresh instructions barring all post tender negotiations with the LI Bidder except in certain exceptional circumstances as they were of the view that negotiations could become a source of corruption. The exceptional circumstances mentioned by the CVC were: procurement of proprietary items, items with limited sources of supply and items where there was a suspicion of cartel formation. The circular also contained instructions about the manner in which limited quantity could be procured from the LI bidder even in cases involving re-tendering the need for quick decision making, the maximum time permitted for approvals at different levels, recording of reasons in support of various recommendations/ decisions, pre-disclosure of ration of splitting the supply in the tender itself where more than one source of supply was needed, etc. It was also clarified by the CVC that whereas counter offer to LI shall be deemed as negotiations, the subsequent counter offers to L2 & L 3 etc in case of splitting of quantities as pre disclosed in the tender would not be deemed to be negotiations. The Commission also directed for strict compliance of instructions.

इन अनुदेशों को प्रभावी बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय (वित्त) ने दिनांक 16.03.07 को तीनों सेना प्रमुखों के अलावा विभिन्न अन्य अधिशासी तथा वित्त प्राधिकारियों को संबोधित अशासकीय नोट जारी किया था जिसमें सभी अनुदेशों का संक्षेप था तथा सभी संबंधितों को उन्हें बारीकी से अनुसरण करने का निदेश दिया गया।

To give effect to these instructions, the Ministry of Defence (Finance) issued a UO Note dated 16.03.07 addressed to the 3 services Chiefs, as also to various other executive

and Finance Authorities. Wherein it summarized all the instruction and directed all concerned to follow them scrupulously.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिनांक 03.03.2007 के परिपत्र जारी करने तथा रक्षा मंत्रालय (वित्त) के दिनांक 16.03.2007 के उनके अशासकीय नोट द्वारा जारी उत्तरवर्ती निदेशों के अनुसरण में मुख्यालय दक्षिणी कमान में अधिशासी प्राधिकारियों ने यह स्टैंड लिया कि अब एल 1 के साथ कोई वार्ता नहीं हो सकती तथा प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार द्वारा दिनांक 12.1.07 के उनके पत्र के तहत दिए स्पष्टीकरण अधिक्रमित हैं । एकीकृत वित्तीय सलाहकार मुख्यालय कार्यालय, दक्षिणी कमान का यह विचार है कि प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्त, जैसे राज्य-हित की रक्षा तथा प्रदत्त कीमत की युक्तियुक्तता के परिधि में वार्ता की जा सकती है ।

It was pursuant to issue of CVC's circular dated 3.3.07 and the subsequent direction of MoD (Finance) vide their UO dated 16.03.2007 that the Executive Authorities in HQr, SC took the stand that no negotiations could now be held with the L1 and that the clarifications given by Pr. IFA vide his letter dated 12.01.07 stood superceded. The O/o IFA HQrs, SC however, held the view that negotiations could still be held within the ambit of the guiding principles laid down by the Pr. IFA, viz protection of the interest of State and reasonableness of the price paid.

एकीकृत वित्तीय सलाहकार मुख्यालय, दक्षिणी कमान ने अपने पत्र में प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार को विचारों के मतभेद से उत्पन्न मामलों के समाधान के लिए अनुरोध करने के साथ ही उक्त पत्र में कुछ ऐसे मामलों का भी उल्लेख किया है जिनमें एकीकृत वित्तीय सलाहकार (सेना/ एम) नई दिल्ली ने पुनर्वार्ता की मांग की है तथा चाहते हैं कि ऐसी मांग की वैधता तथा मान्यता की जानकारी दी जाए जहां केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर स्वयं वार्ता ही निषिद्ध की गई हो । उन्होंने इस पत्र की प्रतिलिपि को सभी एकीकृत वित्तीय सलाहकारों को पृष्ठांकित किया है ताकि वे अपने विचार सीधे प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार को संप्रेषित कर सकें ।

Beside requesting the Pr. IFA to resolve the matter arising out of the divergence of views, the IFA, HQrs, SC also referred in the same letter to certain cases where IFA (Army/M) New Delhi had demanded re-negotiation by the command PNC and questioned the legality and validity of such a demand when the negotiation itself had been barred by CVC except in certain specified circumstances. He also endorsed a copy of this letter to all the other IFA's for communicating their views directly to the Pr. IFA.

एकीकृत वित्तीय सलाहकार मुख्यालय, दक्षिणी कमान द्वारा एकीकृत वित्तीय सलाहकार (सेना/ एम) को पृष्ठांकित पत्र के उत्तर में प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार को

प्रेषित दिनांक 9.5.07 के पत्र में उन्होंने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों को उचित वर्णित किया है। उन्होंने लगातार वार्ता करने के कारण दिए तथा पत्र से ताल-मेल में और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अभिप्राय में प्रस्तावों के परक्रामण को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य-प्रणाली का सुझाव दिया। तथापि, पुनः वार्ता के मुद्दे पर उनका यह मत है कि सेना मुख्यालय में किसी मामले को पुनर्वार्ता के लिए कमान पीएनसी को प्रत्यावर्तित करना सीएफए का स्वेच्छानिर्णय है यदि वे उस पीएनसी द्वारा पूर्व-वार्ता के तहत निर्धारित कीमत को कीफायती और युक्तियुक्त नहीं मानते और ऐसी कार्रवाई किसी भी प्रकार से केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं करती।

In his letter dated 9.5.07 to the Pr.IFA, Sent in response to the communication endorsed to him by IFA, HQrs, SC, IFA (Army/M) described the CVC guidelines as appropriate. He gave reasons for holding of frequent negotiations and suggested a modus operandi for ensuring that proposals were processed in consonance with the letter and spirit of the CVC guidelines. However, on the issue of re-negotiations, he expressed the view that he CFA in the Army HQrs had the discretion to the command PNC if he did not consider the price earlier negotiated by that PNC to be economical or reasonable and that such a course of action in no way violated the CVC guidelines.

विभिन्न निविदों तथा मामलों के परीक्षण को ध्यान में रखते हुए सभी प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रकों/ रक्षा लेखा नियंत्रकों/ एकीकृत वित्तीय सलाहकारों को संबोधित प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार कार्यालय के दिनांक 6.7.07 के अनुदेशीय आदेश-11, 2007 के तहत यह स्पष्ट किया गया कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिनांक 03.03.2007 के अनुदेशों ने एल 1 बोली लगाने वाले के साथ उत्तर-निविदा वार्ता पर व्यापक रोध नहीं लगाया है। एकल निविदा मामलों की स्थिति, पीएसी मामले सहित, बहू-विक्रेता मामले जहां प्रस्तुत कीमत को अधिक माना गया है जहां उत्पादक-संघ रचना संदेह हो वैसे मामलों में एल 1 बोली लगाने वाले के साथ उत्तर-निविदा वार्ता की अनुमयता जारी है। तथापि, प्रत्येक मामलों में ऐसी वार्ताओं के औचित्य का अभिलेखीकरण किया जाना चाहिए तथा निर्धारित समयावधि के भीतर विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन दिया जाना चाहिए तथा उनके वैधता अवधि के भीतर निविदा का अंतिमिकरण किया जा सके। जिन मामलों में पुनः निविदाकरण का निर्णय लिया गया है परंतु मांग अत्यावश्यक है, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों के अनुरूप एल 1 बोली लगाने वाले (वालों) के साथ न्यूनतम मात्रा की आपूर्ति के लिए वार्ता की जा सकती है। प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार ने आगे यह स्पष्ट किया है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित सभी अन्य सुरक्षाओं का भी बारीकी से पालन किया जाना चाहिए तथा इन स्पष्टीकरणों को इकाइयों और संरचनाओं में आगे प्रचारित करने हेतु अधिशासी प्राधिकारियों के ध्यान में लाए।

After taking into account various inputs and examination of the issue, it was clarified by the office of Pr. IFA vide its Instruction Order 11 of 2007 dated 6.7.07 addressed to all the PCsDA/CsDA/IFAs that the CVC instructions dated 3.3.07 do not put a blanket ban on post tender negotiations with the L1 bidder which continue to be permissible in case of single tender situation, including PAC cases, multi vendor cases where the offered price was considered to be high as also in cases where cartel formation was suspected. However, justification for such negotiations should be recorded in each case and approval at different levels should be accorded within the prescribed time frame so that tenders are finalized within their validity period. In cases where decision is taken to go for retendering, but the requirements are urgent, negotiations may be held with L1 bidder(s) for the supply of bare minimum quantity in accordance with CVC instructions. Pr. IFA further clarified that all other safeguards prescribed by CVC should also be scrupulously adhered to and that these clarifications may be brought to the notice of the Executive Authorities for further dissemination to the units and formations.

प्रश्न 2 / Q.2 हैदराबाद में रक्षा लेखा विभाग के किसी कार्यालय में कार्यरत तथा अपने निवास में रहने वाले एक लेखा अधिकारी, श्री "क", को रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा दिल्ली स्थित रक्षा लेखा विभाग के अन्य कार्यालय में स्थानांतरित किया गया। श्री "क", लेखा अधिकारी, जो 2012 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, पिछले 4 वर्षों से हैदराबाद में सेवारत थे। उन्होंने अपनी अस्वस्थता और उनके साथ रह रहे वृद्ध एवं उन पर आश्रित माता-पिता के आधार पर रक्षा लेखा महानियंत्रक को अपने स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा इसे यह कहते हुए नामंजूर किया गया कि दिल्ली में भी उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनसे वे स्वयं तथा उनके माता-पिता लाभान्वित हो सकते हैं और उनके वरीयता के स्तर पर उन्हें दिल्ली में आसानी से सरकारी आवास मिल सकता है। रक्षा लेखा महानियंत्रक के इस आदेश के विरुद्ध श्री "क" ने उनके स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने एवं हैदराबाद में उनके प्रतिधारण के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, हैदराबाद में ओ.ए. सं.-100, 2008 दाखिल किया।

Shri X, an Accounts Officer working in one of the DAD offices in Hyderabad and staying in his own accommodation was transferred to another DAD office located in Delhi by the CGDA. Shri X, AO, who is to superannuate in the year 2012, had been serving in Hyderabad for past 4 years. He represented against his transfer to the CGDA on the ground of his own ill health as well as the old age of his parents, who were dependent upon him and also staying with him. This was rejected by the CGDA stating that excellent medical facilities were also available in Delhi, which he could avail for himself and for his parents, and that at his level of seniority he could easily get Govt. Accommodation in Delhi. Against this order of CGDA, Shri X filed an O.A. No. 100 of 2008 in CAT, Hyderabad for cancellation of his transfer order and his retention in Hyderabad. As the dealing SO (A), please prepare a draft counter affidavit.

(40 अंक/ 40 Marks)

उत्तर / Ans:

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में पेश
BEFORE THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

हैदराबाद / HYDERABAD

प्रति-शपथपत्र / COUNTER AFFIDAVIT

(उत्तरदाताओं की ओर से)

(On behalf of the Respondent)

2008 का ओ.ए. सं.- 100

O.A. No. 100 OF 2008

के मामले में / IN THE MATTER OF:

श्री "क" / SHRI X आवेदक / APPLICANT

बनाम / VERSUS

भारत संघ एवं अन्य / UNION OF INDIA & OTHERS.....उत्तरदाता/RESPONDENT

श्री ककक, भा.र.ले.से., उम्र..... साल, पुत्र श्री खखख का शपथपत्र ।

(अभिसाक्षी)

Affidavit of Mr. AAA. IDAS, aged aboutyrs, son of Shri BBB

(Deponent)

में, ऊपर नामित अभिसाक्षी, एतद्वारा सत्यनिष्ठा एवं सम्मानपूर्वक निम्नलिखित कहना चाहता हूँ :

I the above named deponent do hereby solemnly affirm and respectfully state as follows:

1. कि अभिसाक्षी इस समय रक्षा लेखा नियंत्रक, सिकंदराबाद के कार्यालय में रक्षा लेखा उप-नियंत्रक के पद पर सेवारत हैं तथा उक्त मामले के तथ्यों से भली-भांति अवगत हैं और वे उत्तरदाताओं की ओर से वर्तमान प्रति-शपथपत्र दाखिल करने में सक्षम हैं ।

That the deponent is presently working as a Dy. Controller of Defence Accounts in the office of the CDA, Secunderabad and as well acquainted with the facts of this case and is competent to file the present counter affidavit on behalf of the respondents.

प्रारम्भिक आपत्तियाँ / PRELIMINARY OBJECTIONS:

2. वर्तमान ओ.ए. अनुरक्षणीय नहीं है क्योंकि आवेदक ने उनको उपलब्ध सभी उपचार निःशेष नहीं किए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने रक्षा लेखा महानियंत्रक के आदेश के विरुद्ध अपीली प्राधिकारी, अर्थात् सचिव, रक्षा मंत्रालय (वित्त) को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया। अतः उक्त ओ.ए. केवल इसी आधार पर खारिज किए जाने की संभावना है।

The instant OA is not maintainable since the applicant has not fully exhausted all the remedies available to him in as much as no representation has been made by him to the Appellate authority i.e. Secretary, Ministry of Defence (Finance), against the order of the CGDA. The OA, therefore, is liable to be dismissed on this ground.

योग्यता के आधार पर उत्तर / REPLY ON MERITS:

3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत दलील तर्कसंगत नहीं है अतः नामंजूर किया जाता है। रक्षा लेखा विभाग में सेवा एक अखिल भारतीय जिम्मेदारी है और इसके तहत आवेदक अखिल भारतीय स्तर पर रक्षा लेखा विभाग के किसी भी कार्यालय में उनका स्थानांतरण हो सकता है। साथ ही वर्तमान स्टेशन अर्थात् हैदराबाद में 4 वर्षों तक सेवा उपरांत अब अन्य स्टेशन अर्थात्, दिल्ली में प्रशासनिक आधार पर उनकी सेवा की आवश्यकता है और तदनुसार उनका स्थानांतरण किया गया था। स्थानांतरण के विरुद्ध उनका अपनी अस्वस्थता और अपने माता-पिता के वृद्धावस्था एवं बीमारी की दलील मान्य नहीं है क्योंकि दिल्ली में भी उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनका वे स्वयं तथा अपने माता-पिता के लिए लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा उनके वरीयता के स्तर पर उन्हें दिल्ली में आसानी से सरकारी आवास मिल सकता है जहां उनके वृद्ध माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य उनके साथ रह सकते हैं। अतः स्थानांतरण आदेश का निरस्त करना न्यायोचित नहीं होगा। आवेदक को हैदराबाद से दिल्ली स्थानांतरित करने के यथेष्ट तर्कसंगत हैं।

The plea advanced by the applicant is not tenable and hence denied. The service in the Defence Accounts Department has the all India liability and as such the applicant is liable for transfer to any DAD office on an all India basis. Also having served in the present station viz. Hyderabad for four years, the services of the applicant were now required at another station i.e. Delhi on administrative grounds and accordingly he was transferred. The plea of his own ill health and the old age and illness of his parents against the transfer does not hold water since excellent medical facilities are also available at Delhi which can

be availed of by him for himself and for his parents. Further, at his level of seniority, he can easily get government accommodation in Delhi where the aged parents and other family members can reside with him. Hence cancellation of Transfer Order will not meet the ends of Justice. There is sufficient justification in transferring the applicant from Hyderabad to Delhi.

प्रार्थना / PRAYER:

4. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान ओ.ए. योग्यता रहित है तथा तर्कहीन कारणों पर आधारित है। अतः वह लागत के साथ खारिज किए जाने का संभाव्य है। तदनुसार प्रार्थना है।

That in view of the aforesaid facts, the present OA is devoid of merits and is based on untenable grounds and hence is liable to be dismissed with costs. It is prayed accordingly.

उत्तरदाता /RESPONDENT

के माध्यम से /THROUGH

स्टेशन : हैदराबाद

Station : Hyderabad

(सरकारी वकील / GOVT. COUNSEL)

दिनांक :, 2008

Dated:-,2008

सत्यापन / VERIFICATION

जनवरी, 2008 के दिन को हैदराबाद के सत्यापन में पैरा 1 से 3 की विषयवस्तु मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है तथा प्राप्त कानूनी सलाह के अनुसार शेष को सही माना गया है।

VERIFICATION AT Hyderabad on this day of January, 2008 that the contents of paragraph 1 to 3 are true and correct to the best of my knowledge and the remaining is believed to be correct as per legal advice received.

उत्तरदाता / RESPONDENT

प्रश्न 3 / Q.3 एक आंचलिक रक्षा लेखा नियंत्रक के मुख्य कार्यालय द्वारा मुख्य अधीनस्थ कार्यालयों के आंतरिक निरीक्षण से यह प्रकट हुआ है कि आपूर्तिकर्ताओं के दावों की प्रज्ञ संवीक्षा तथा सटीक लेखा परीक्षा नहीं की जा रही है। महत्वपूर्ण जांच, जैसे नमूना हस्ताक्षर का सत्यापन, आपूर्ति आदेश की अग्रिम प्रतियों के साथ बिलों का मिलान, ठेकेदारों के भुगतान रजिस्टर के साथ मिलान आदि, बारीकी से नहीं किए जा रहे हैं।

The internal inspection of major Sub Offices by the Main Office of a Regional CDA has revealed that intelligent scrutiny and proper auditing of suppliers' claims is not being done. Important checks, such as verification of the specimen signature, linking of all bills with advance copies of supply orders, linking with Contractors' payment register etc. are not being carried out scrupulously.

इन त्रुटियों को अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों के ध्यान में लाते हुए मुख्य कार्यालय के रक्षा लेखा अपर नियंत्रक की ओर से एक अर्ध-शासकीय पत्र लिखें तथा आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों के दावों की पूर्व-लेखा परीक्षा करते समय कार्यालय नियमावली भाग-2, जिल्द- 1 के पैरा 511 में निहित महत्वपूर्ण प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दें।

Draft a D.O. letter from the Addl. CDA in the main office to the Heads of the Sub Offices drawing their attention to these lapses and advise them to ensure strict compliance of the important provisions contained in Para 511 of OM Part II, Vol. I, while carrying out pre-audit of the suppliers'/Contractors' claim.

कार्यालय नियमावली भाग-2, जिल्द- 1 का प्रासंगिक पैरा 511 परिशिष्ट – 2 की प्रतिलिपि प्रस्तुत है।

Relevant Para 511 of OM Part II, Vol. I is reproduced at APPENDIX-2.

(35 अंक/ 35 Marks)

परिशिष्ट – 2 / APPENDIX-2

कार्यालय नियमावली भाग-2, जिल्द- 1 का पैरा 511

Para 511 of OM Part II, Vol-I

ठेकेदारों के बिलों का लेखा परीक्षा

Audit of contractors' bills

511. ठेकेदारों के बिलों की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं का ध्यान रखा जाए :

511. In auditing contractors' bills the following main points will be observed.

- (i) कि बिल स्याही में तैयार किए गए हो; वाउचर निर्धारित फॉर्म में हो; वे मूल प्रति में हो तथा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा अधिमानित हो ;
that the bills are prepared in link; the vouchers are in the prescribed form; they are in original and preferred by the persons authorized to do so.
- (ii) कि आई.ए.एफ.ए.-68 तथा समर्थक वाउचर के विभिन्न कॉलम सभी संबंध में पूर्ण हो ;
That the various columns of I.A.F-68 and the supporting vouchers are complete in all respect;
- (iii) कि दस्तावेजों में किए गए सभी संशोधन सत्यापित हो ;
That all alteration in the documents are attested;
- (iv) कि रु.5000/- से अधिक राशि के सभी बिलों पर रसीदी टिकटें लगी हुई तथा विरूपित की गई हो ;
That revenue stamps are affixed for all bills in excess of Rs. 5000 and are defaced;
- (v) कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा भंडारों के क्रय की संस्वीकृति दी गई हो ;
That the purchased of store has been sanctioned by the competent authority;
- (vi) कि अंकगणित के परिकलन सही हो और योग का उल्लेख अंकों तथा शब्दों में किया गया हो ;
That the arithmetical calculations are correct and that the totals are expressed in words as well as in figures;
- (vii) कि हिंदी के अलावा स्थानीय भाषा के हस्ताक्षरों का अंग्रेजी में लिप्यांतरण किया गया हो तथा किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा अंगूठा निशान का अनुप्रमाणन किया गया हो ;
That vernacular signature, except those in Hindi, are transliterated into English and thumb impression are attested by some responsible persons;
- (viii) कि हस्ताक्षर स्याही में हो ;
That signature are in ink;
- (ix) आई.ए.एफ.एस.- 1520, या आपूर्ति आदेश , या निरीक्षण नोट क्रम संख्या धारी हो तथा भंडार प्राप्त करने वाले अधिकारी तथा आपूर्तिकर्ता, दोनों ने आई.ए.एफ.एस.- 1520 (प्रत्येक यूनिट तथा प्रत्येक माह के लिए अलग से तैयार) पर हस्ताक्षर किए हो ;
I.A.F.S.-1520 or supply order, or inspection note bears the serial number and further that I.A. F.S.-1520 (prepared separately for each unit and each month) has been signed both by the officer receiving the stores and the supplier;
- (x) कि आपूर्ति आदेश या आई.ए.एफ.एस.- 1520 पर जारी करने वाले डिपो का स्टैम्प लगा हो तथा उसके शीर्ष पर डिपो के कमान अफसर द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो ;

- That the stamp of the issuing depot has been affixed on supply order or I.A.F.S.-1520 and it had been signed by the O.C. of the depot on the top;
- (xi) कि आपूर्ति आदेश / आईएफएस- 1520 के अंकों का मात्रात्मक जोड़ शब्दों में दर्शाये गए जोड़ से मेल खाता हो ;
- That the quantitative totals shown in figures in the supply orders/ I.A.F.S. -1520 agree with those shown in words;
- (xii) कि आई.ए.एफ.एस.-1520 तथा आई.ए.एफ.ज़ेड.- 2135 युक्त, में दर्शाए गए विभिन्न सामग्रियों का कुल परिमाण संबन्धित सार में दिए गए जोड़ से मेल खाता हो तथा यह कि सार में कोई परिवर्तन या अंतरवेषण नहीं हो ;
- That the total quantities of various articles shown in I.A.F.S.-1520 and I.A.F.Z.-2135 proper, agree with the totals given on the respective abstracts and that no alterations or interpolations exist in the abstracts;
- (xiii) कि बिल पारित करने वाले लेखा परीक्षक के दिनांकित हस्ताक्षर के नीचे आई.ए.एफ.एस.- 1520 / आई.ए.एफ.ज़ेड.- 2135 का सारांश "युग्मित" शब्द के साथ पृष्ठांकित हो ;
- That the abstracts portion if I.A.F.S.-1520/I.A.F.Z.-2135 is endorsed with the word 'paired' under the dated initials of the auditor passing the bill;
- (xiv) कि आई.ए.एफ.एस. -1520 के शीर्ष पर जारी करने का दर्शाया गया दिनांक दैनिक आपूर्तियों के प्रारम्भ से पूर्व का हो ;
- That the date of issue of I.A.F.S.-1520 indicated at the top of it is in advance of the commencement of daily supplies;
- (xv) कि बिल के 1 से 4 कॉलम, समर्थक आपूर्ति आदेश / आई.ए.एफ.एस.-1520 के तदनुरूप विवरण से मेल खाते हो ;
- That columns 1 to 40 of the bill tally with corresponding details in the supporting supply order/ I.A.F.S.-1520;
- (xvi) कि समर्थक वाउचर भंडार प्राप्त करने वाले डिपो या यूनिट से पृष्ठांकन धारी हो जिसमें खाता-बही या वापसी तथा प्रभारित भंडारों के मासिक लेखा का विवरण दर्शाया गया हो । आई.ए.एफ.एस.- 1520 / आई.ए.एफ.ज़ेड. -2135 पर प्राप्ति रसीद में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों का हस्ताक्षर नमूना हस्ताक्षर रजिस्टर से सत्यापित किया जाएगा ;
- That the supporting vouchers bear an endorsement by the depot or unit receiving the stores, showing the particular ledger or return and the month's account in which the stores have been brought on charge. The signatures of the the officers who sign the receipt certificate on I.A.F.S.-1520/I.A.F.Z.-2135 will be verified from the register of specimen signature.
- (xvii) कि मूल आई.ए.एफ.एस.-1520 अथवा आई.ए.एफ.ज़ेड.-2050 के खो जाने के मामले में मौलिक नियमावली, भाग-2 के नियम 43 के प्रावधानों को माना जाए;

That in the case of loss of original I.A.F.S.-1520/ I.A.F.S.-2050, THE PROVISIONS OF Rule 43 F.R., Part-II, are observed;

- (xviii) कि संविदा की सभी शर्तें जैसे, फल और सब्जियों के प्रकार की प्रतिशतता का बिल में समाविष्ट लेन-देन में पालन किया गया हो ;

That all the conditions of the contracts such as percentage of varieties of fruits and vegetables are adhered to in the transactions covered by the bill;

- (xix) कि संविदा या पाक्षिक दर-सूची में अधिसूचित अन्य विधिवत संस्वीकृत दरों के संदर्भ में बिल में दावा की गई राशि सही हो ;

That the amount claimed in the bill is correct with reference to the contract or other duly sanctioned rates notified in the fortnightly rate list;

टिप्पणी : दरों की जांच इस तथ्य को सुनिश्चित करती हो कि संविदा में सरकार को अत्यधिक फायदेमंद दरों की प्राप्ति हो । भंडारों के मूल्यांकन एवं उनके वितरण के समय और स्थान के संदर्भ में दरें सही हो इसके लिए दरों की जांच को अपनाया जाना चाहिए ।

NOTE: The check of rates should also ensure that the most advantageous rate to Government in the contract, has been adopted in the valuation of the supplies and that the rates are correct with reference to the place and time of delivery.

- (xx) कि संविदा अवधि की समाप्ति के पश्चात कोई आपूर्ति नहीं की गई हो ;

That no supplies have been made after the expiry of the period of contract;

- (xxi) कि जिन मामलों में संविदा में विनिर्दिष्ट से अधिक आपूर्ति की गई हो, अधिशासी प्राधिकारियों को अधिक मात्रा में प्रदत्त आपूर्ति की सूचना दी जाए ताकि वे ऐसे आपूर्तियों पर नियंत्रण रख सकें ।

That in case where supplies have been made in excess of those specified in the contract, The executive authorities are informed of the quantities paid in excess, to enable them to keep a check over such supplies

- (xxii) कि जिनके साथ संविदा की गई हो उनके अलावा किसी अन्य एजेंसी की पार्टी द्वारा आपूर्ति किए जाने के मामलों में व्यतिक्रमी ठेकेदार पर विनियमों या संविदा करार में निर्धारित दंड प्रवर्तित किया गया हो ;

That in the case of supplies made by a party agency other than the person with whom a contract exists, the penalties prescribed in the regulations or in the contract agreement have been enforced on the defaulting contractor;

- (xxiii) कि व्यतिक्रम अथवा किसी अन्य कारण से ठेकेदार द्वारा देय सभी राशियों को मांग रजिस्टर में नोट किया गया हो तथा उसी रजिस्टर से उनकी वसूली पर निगरानी रखी जाए । तदोपरांत प्रस्तुत बिलों से अथवा नकदी में या ठेकेदार के प्रतिभूति जमा से इनकी वसूली की जाएगी ।

That all amounts due from contractors on account of default or for any other cause are noted in the demand register and their recovery watched therefrom. Recoveries will be effected either from bills submitted subsequently or in cash or from the security deposit of the contractor;

- (xxiv) कि स्थानीय क्रयों के मामलें में मौलिक नियमावली, भाग-1 के नियम 128 के अनुसार बाहरी उत्पादकों के बजाय भारतीय उत्पादकों के सामग्रियों को अधिमन्यता दी जाए ;

That in case of local purchases, articles of Indian manufacture are given preference to other vide Rule 128, F.R. Part I;

- (xxv) कि सीधे स्थानीय क्रय के बिलों के मामलें में सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की संस्वीकृति है ;

That in the case of bills for direct local purchase sanction of the CFA exist;

- (xxvi) कि ठेकेदारों के जोखिम एवं व्यय में किए गए आकस्मिक क्रय के बिलों के संबंध में अधि-व्यय ठेकेदार के नामे किया गया हो ;

That in respect of bills of casual purchase at the risk and expense of the contractors, the extra expenditure is debited to the contractors;

- (xxvii) कि मुक्त चैकों से भुगतान केवल उस अधिकारी द्वारा किया जाए जिन्होंने भंडारों की प्राप्ति की हो जिनके लिए भुगतान किया जा रहा है ;

That payment by open cheque are only made through the officer who received the stores for which payment is being made;

- (xxviii) कि मँगवाई प्रमात्रा से अधिक / कम भंडारों की स्वीकृति को संविदा की शर्तों का आशोधन नहीं माना जाएगा यदि स्वीकृत अधिक / कम भंडार का मूल्य मूल कीमत के 5% से अधिक न हो । यदि वह उससे अधिक हो तो लेखा परीक्षा में बिल दाखिल करने से पूर्व आशोधन पर जोर दिया जाए ।

That acceptance of supplies in excess/short of the quality ordered will not be held to be a modification in the conditions of a contract provided that the value of the excess/short supply does not exceeds 5%of the original value. If it exceeds, the modification may be insisted upon before admitting the bill in audit;

- (xxix) ठेकेदार द्वारा, लिखित में, यह बताते हुए कि वह भुगतान का 95% आपूर्ति डिपो से एवं 5% प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक / रक्षा लेखा नियंत्रक से प्राप्त करना चाहता है या 100% भुगतान प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक / रक्षा लेखा नियंत्रक से प्राप्त करना चाहता है, इस आशय का प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा ।

The contractor is required to submit a certificate, in writing, stating that whether he is willing to receive the 95% payments from the Supply Depot and 5% from the Pr. CDA/CDA or 100% payments from the Pr.CDA/CDA/

अर्ध-शासकीय पत्र प्रारूप / Draft DO

अ.शा.सं. एटीसी/आर&डी/एससी/128

D.O No. ATC/ R&D/SC/128

भारत सरकार

Govt. of India

रक्षा लेखा विभाग

Defence Accounts department

कार्यालय, प्र.र.ले.नि. (आर&डी)

O/o PCDA (R&D)

'एल' ब्लॉक, चर्च रोड

'L' Block, Church Road,

नई दिल्ली- 1

New Delhi-1

कककक, भा.र.ले.से.

XXXX, IDAS

रक्षा लेखा अपर नियंत्रक

Addl. CDA

28.1.08

प्रिय श्री

Dear Shri

मुख्य कार्यालय के दलों द्वारा मुख्य अधीनस्थ कार्यालयों के हालही में किए गए आंतरिक निरीक्षणों के संदर्भ में मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ ।

I am writing to you in the context of the recent internal inspection of our major Sub Officers carried out by the team from the Main Office.

2. निरीक्षणों से यह प्रकट हुआ है कि संबन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं के दावों की प्रज्ञ संवीक्षा तथा उचित लेखा परीक्षा नहीं की जा रही । इन अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा जांच जैसे नमूना हस्ताक्षरों का सत्यापन, आपूर्ति आदेश की अग्रिम प्रतियों के साथ बिलों का मिलान, ठेकेदारों के भुगतान रजिस्टर से मिलान, आदि पर भी अल्प ध्यान देना ।

The inspections have revealed that intelligent scrutiny and proper auditing of the suppliers claims in not being done by the concerned Officers/staff. Scant regard has been shown by these officers/staff even to the important audit checks like verification of the specimen signature, linking of bills with advance copies of Supply Orders, linking with Contractor's payment register, etc.

3. अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यों के दानीय स्थिति पर प्रधान नियंत्रक ने गहरी चिंता और असंतोष प्रकट किया है तथा अधोहस्ताक्षरी को निदेश दिया है कि इस मुख्य समस्या क्षेत्र पर आपका ध्यानाकर्षण कर तात्कालिक आधार पर उचित उपचारी उपाय किए जाए । कृपया सुनिश्चित करें की हमारी जिम्मेदारी के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सभी संबन्धित अधिकारी / कर्मचारी सही तरीके से प्रशिक्षित एवं मार्गदर्शित हो तथा उन्हें यह सलाह दी जाए कि वे आपूर्तिकर्ताओं के दावों के परक्रामण के दौरान कार्यालय नियमावली, भाग-2 के जिल्द-1 के पैरा 511 में निहित विभिन्न लेखा परीक्षा जांच का बारीकी से अनुसरण करें । महत्वपूर्ण प्रावधान, यथा आपूर्ति आदेश की अग्रिम प्रतियों के साथ बिलों का मिलान, ठेकेदारों के भुगतान रजिस्टर से मिलान, संस्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी का सत्यापन, आदि के अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाए ।

The Principal Controller has expressed his deep concern and displeasure at the sorry state of affairs prevailing in the sub offices and directed the undersigned to draw your personal attention to this major problems area so that appropriate remedial measures are taken on an urgent basis. Please ensure that the concerned officers and staff are properly trained and guided in this crucial area of our responsibility and are advice to scrupulously follow various audit checks contained in Para 511 of OM Part-II, Vol-I while processing the suppliers claims. Particular emphasis may be given to the compliance of important provisions, such as, linking of bills with the advance copies of supply orders, linking with the contractor's payments register, verification of Competent Authority that has awarded the Sanction, etc.

4. कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा इस कार्यक्षेत्र का नियमित आधार पर मोनिटरिंग तब तक किया जाए जब तक इसकी गुणवत्ता ऐच्छिक स्तर तक सुधर जाए । आपके द्वारा किए गए उपायों का विवरण आपकी अगली मासिक गतिविधि रिपोर्ट में सूचित की जाए तथा तत्पश्चात की गई प्रगति अगले कुछ मासिक गतिविधि रिपोर्टों द्वारा संप्रेषित की जाए ।

Please also ensure that this area of work is monitored by you on a regular basis till such time as its quality improves to a desired level. Details of measures taken by you may be intimated in your next monthly activity report and the progress made thereafter be communicated through the next few MARs.

कृपया पावती दें ।

Pl. acknowledge receipt.

सहित

With

भवदीय

Yours sincerely
कककक / XXXX

सभी कार्यालय के प्रमुख
All Heads of Offices
(नाम से / By name)

प्रश्न / Q.4

वर्ष 2006-07 के लिए शेष की वार्षिक समीक्षा की संवीक्षा के दौरान प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक ने यह देखा कि उचंत शीर्ष 76/20/83 में रु.82,33,84,989/- की विशाल राशि बकाया शेष के रूप में पड़ा है। रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय के दिनांक 14 जुलाई 1995 के पत्र सं.ए/III/12159/92-93, जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट - 3 में है, के तहत शाख-पत्रों के समायोजन संबंधी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा साख-पत्रों का समायोजन नहीं किया जाना बकाया शेष का मुख्य कारण था जिसकी पुष्टि प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक को समूह अधिकारी (लेखा) द्वारा की गई।

While scrutinizing the Annual Review of Balances for the year 2006-07, Pr.CDA noticed that a huge sum of Rs. 82,33,84,989 was lying as outstanding balance in the suspense head 76/20/83. It was confirmed by the GO (A/Cs) to the Pr. CDA that main reason for this was the non adjustment of Letters of Credit by the Sub Offices as per the procedure prescribed by the CGDA office for adjustment of Letters of Credit (LC) vide their letter No. A/III/12159/92-93, Dated 14th July 1995 as reproduced at **APPENDIX-3**.

यह मानते हुए कि आप मुख्य कार्यालय के लेखा अनुभाग के संबन्धित अनुभाग अधिकारी (लेखा) हैं तथा फाइल सं. लेखा/1/आर&डी/02 का प्रचालन कर रहे हैं। मुख्यालय के दिनांक 14 जुलाई 1995 के पत्र सं.ए/III/12159/92-93 में निहित प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता को बताते हुए सभी अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों को (नाम से) संबोधित एक परिपत्र का मसौदा प्रस्तुत करें। परिपत्र में उन्हें यह सलाह दें कि वे परिपत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर उचंत शीर्ष 76/20/83 के अंतर्गत बकाया राशि की निकासी के लिए एक समय-बद्ध कार्य-योजना अग्रेषित करें।

Assuming that you are the dealing SO (A) in the Accounts Section of Main Office and operating file No. A/Cs-I/R&D/02, please put up a draft circular to all the Heads of Sub Offices (By Name) outlining the need for strict compliance of provisions contained in the HQrs letter No. A/III/12159/92-93, Dated 14th July 1995 and advising them to forward a time bound action plan for clearance of the circular.

(35 अंक / 35 Marks)

परिशिष्ट - 3 / APPENDIX-3

महत्वपूर्ण परिपत्र
IMPORTANT CIRCULAR

सं.ए/III/12159/92-93
No.A/III/12159/92-93
कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक
Office of the CGDA
पश्चिमी खंड- 5, आर.के. पुरम
West Block-V, R.K.Puram
नई दिल्ली- 110066
New Delhi-66
दिनांक 14 जुलाई 1995
Dated: 14th July,1995

1. रक्षा लेखा नियंत्रक (मुख्यालय), नई दिल्ली
The CDA (HQrs), New Delhi
2. मुख्य लेखा नियंत्रक (फैक्ट्री), कोलकाता
The CC of A (FYs) Calcutta
3. रक्षा लेखा नियंत्रक (अनुसंधान एवं विकास), नई दिल्ली
The CDA (R&D), New Delhi
4. रक्षा लेखा नियंत्रक (अनुसंधान एवं विकास), बेंगलोर
The CDA (R&D), Bangalore

विषय : विदेशी संविदाओं से संबन्धित भुगतान के प्राधिकरण के विरुद्ध व्यय का संकलन ।

Sub:- Compliance of expenditure against authorization for payment in respect of Foreign Contract.

सूचना की

लिया गया

020/83 (बैंक

समय विशिष्ट

सीधे सेवा

संबन्धित

अंतिम सेवा शीर्षों में विदेशी भुगतानों के व्यय के मामले में 'साख-पत्र' या 'सीधे बैंक अंतरण' द्वारा भुगतान की बुकिंग में देरी मूलतः भारतीय रिज़र्व बैंक से नामे-लंबित प्राप्ति के कारण है । वास्तविक नकदी निर्गम तथा अंतिम शीर्षों में नामे के समायोजन के समय-अंतराल के मामलों पर विचार किया गया तथा यह निर्णय कि साख -पत्र / और बैंक अंतरण के तहत प्राधिकृत प्रदत्त राशि को कूट शीर्ष अंतरण का प्राधिकरण / भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शाख-पत्र का भुगतान करते वर्ग पूर्वलग्न '76' के साथ आरबी उचंत-अवर्गीकृत) में विपरीत समायोजन द्वारा शीर्षों में प्रभारित किया जाना चाहिए । साख -पत्रों के अंतर्गत भुगतान करने पर भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं द्वारा रक्षा लेखा नियंत्रक को भुगतान विवरण

In the case of expenditure incurred for foreign payment either through payment under 'Letter of Credit' or through 'Direct Bank Transfer' the booking to final service heads is delayed substantially due to late receipt of debit advices from the Reserve Bank of India. This issue of time –lag between the actual cash outgo and adjustment of debit to final heads has been considered and it has been decided that the amounts paid under letter of Credit / and authorized under Bank Transfer are to be charged directly to the Service Heads concerned by contra adjustment to code head 020/83 (RB Suspense-unclassified with a distinct category prefix '76' at the time of authorization of Bank Transfer/Payment of L.C. by SBI). SBI Branches concerned will be advised to send payment detail to CDA immediately on payment under L.C. (simultaneously with their advice to RBI).

नामे सूचना की प्राप्ति होने पर अनुलग्नक में दर्शाए अनुसार बैंक कमीशन, विनिमय-दर में भिन्नता आदि का आगे समायोजन किया जाए । तथापि, नामे सूचना का आगे की तारीख में समायोजन करते समय लेखा अनुभाग उक्त उचंत शीर्ष की निकासी सुनिश्चित करेगा एवं कूट शीर्ष 76/020/83 के अंतर्गत रक्षा लेखा नियंत्रक को बकाया राशि का मासिक रिपोर्ट प्रेषित करेगा । ऐसे सभी भुगतानों को विशिष्ट मद के रूप में दर्शाने के लिए नामे सूचना के समायोजन के दौरान कूट शीर्ष 021/00 (रिज़र्व बैंक जमा) में मुद्रित संकलन वर्ग '76' भी पूर्वलग्न किया जाएगा । 1.8.95 से उपरोक्त कार्य-प्रणाली को प्रभावी बनाया जाएगा ।

On receipt of debit advice further adjustment will be made in respect of bank commissions, variation on rate of exchange etc. as indicated in the annexure. The Accounts Section will, however, ensure clearance of the above Suspense head while adjusting the Debit Advice at a letter date and submit a monthly report on amount outstanding under 76/020/83 to the CDA. In order to reflect all such payments as a distinct item in the printed compilations cat. '76' will also be prefixed to code head 021/00 (Reserve Bank Deposits) while adjusting the debit advices. The above procedure will be given effect to from 1.8.95.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकृति के मामलों (जैसे साख -पत्र तथा सीधे बैंक अंतरण) के भुगतान के लिए कूट शीर्ष 020/81 (चैक व बिल) का संचालन नहीं किया जाएगा ।

In view of the above, Code Head 020/81 (Cheque and Bills) will no longer be operated in case of payments of the above nature (Viz. Letter of Credit and Direct Bank Transfer).

कृपया पावती दें ।

Please acknowledge receipt.

केवल मुख्य लेखा नियंत्रक (फैक्ट्री), कोलकाता हेतु : साख -पत्रों के समायोजनों के मामलों में हमारे दिनांक 23.11.92 के पत्र सं. ए/III/12159/92-93 में निहित स्पष्टीकरण वर्तमान परिशोधित कार्य-प्रणाली में संशोधित होंगे ।

For CC of A(FYs), Calcutta only: The clarification contained on our letter No. A/III/12159/92-93 dt. 23.11.92 in the case of adjustment relating to Letter of Credit will stand modified to the extent to the revised procedure.

कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक
For CGDA

नियंत्रक : सूचना हेतु ।

Controller : For information

भुगतान हेतु प्राधिकृत राशि / एल.सी. के अंतर्गत प्रदत्त राशि

Amount authorized for payment /Amount Paid under L.C.....Rs. 46,10,000.00

सेवा -प्रभार की राशि (टेली / कमीशन आदि)

Amount of Service Charge (Tele/ Commission etc)

भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रभारित

Charged by the RBI/SBIRs. 7,145.50

विनिमय की दर के कारण भिन्नता

Variation due to rate of exchangeRs. 20,000.00

कुल राशि जिसके लिए नामे-सूचना प्राप्त हुई है

Total amount for which debit Advice is receivedRs. 46,37,145.50

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एल.सी. भुगतान की सूचना प्राप्ति पर प्राधिकरण के समय तैयार की गई पंचिंग माध्यम

P.M. PREPARED AT THE TIME OF AUTHORISATION ON RECEIPT OF INTIMATION OF L.C. PAYMENT BY S.B.I

कूट शीर्ष	(+) प्राप्ति रु.	कूट शीर्ष	(+) प्रभार रु.
Code Head	(+) Receipt RS.	Code Head	(+) Charge Rs.
76/020/83	46,10,000	1/908/36	46,10,000
	<u>46,10,000</u>		<u>46,10,100</u>

लेखा-परीक्षा आनुभाग द्वारा नामे सूचना की प्राप्ति पर तैयार की गई पंचिंग माध्यम

P.M PREPARED ON RECEIPT OF DEBIT ADVICE BY AT-SECTION

कूट शीर्ष Code Head	(+) प्राप्ति रु. (+) Receipt RS.	कूट शीर्ष Code Head	(+) प्रभार रु. (+) Charge Rs.
76/020/83	27,145.50	1/908/36	20,000
		1/742/13	7,145.50
	27,145.50		27,145.50

लेखा आनुभाग द्वारा नामे सूचना की प्राप्ति पर तैयार की गई पंचिंग माध्यम
P.M. PREPARED BY ACCOUNTS SECTION ON RECEIPT OF DEBIT ADVICE

कूट शीर्ष Code Head	(+) प्राप्ति रु. (+) Receipt RS.	(+) प्रभार रु. (+) Receipt Rs.
76/021/00	46,37,145.50	
76/020/83		46,37,145.50
	46,37,145.50	46,37,145.50

उत्तर / Ans:

पंजीकृत / तत्काल
Registered / Immediate

सं. लेखा- 1 /आर&डी/02
No. A/Cs-I/R&D/02
कार्यालय, प्र.र.ले.नि.(अनु. व वि.)
Office of the PCDA (R&D)
'एल' ब्लॉक, चर्च रोड
'L' Block, Church Road,
नई दिल्ली - 110001
New Delhi-110001
दिनांक 16 नवंबर, 2007
Dated: 16 November, 2007

सेवा में
To

सभी कार्यालय-प्रमुख (नाम से)
All HOO (By Name)

विषय : विदेशी संविदाओं से संबन्धित भुगतान के प्राधिकरण के विरुद्ध व्यय का संकलन

तथा उचंत शीर्ष 76/020/83 का निपटान ।

Sub: **Compilation of expenditure against authorization for payment in respect of Foreign Contracts and clearance of suspense head 76/020/83**

वर्ष 2006-07 के लिए शेषों की वार्षिक समीक्षा की संवीक्षा से यह उजागर हुआ है कि भारतीय रिज़र्व बैंक शीर्ष 76/020/83 के अंतर्गत रु.82,33,84,989/- की विशाल राशि बकाया शेष के रूप में पड़ा है । इससे यह स्पष्ट होता है कि उचंत शीर्ष की विमुक्ति के लिए मुख्यालय कार्यालय द्वारा उनके दिनांक 14 जुलाई 1995 के पत्र सं.ए/III/12159/92-93 के अंतर्गत निर्धारित कार्य-प्रणाली का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जाता है । अतः निर्धारित कार्य-प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश सभी संबंधितों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु निर्धारित किए जा रहे हैं :

A scrutiny of the Annual Review of Balances for the year 2006-07 has revealed that a huge sum of Rs. 82,33,84,989/- is lying as outstanding balance under RBI Suspense Head 76/020/83. This clearly indicates that the procedure laid down by the HQrs Office vide their letter No. A/III/12159/92-93 dated 14.7.1995 for relieving the suspense head is not being followed strictly. In order, therefore, to ensure compliance of the laid down procedure, the following guidelines are being laid down for strict compliance by all concerned:

(i) लेखा परीक्षा अनुभाग कूट शीर्ष 76/021/00 (भारतीय रिज़र्व बैंक जमा) का संचालन बिलकुल नहीं करेंगे । इस कूट शीर्ष का संचालन / प्रयोग केवल मुख्य कार्यालय के लेखा अनुभाग द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के फोकल पॉइंट शाखा/ शाखाओं से दैनिक नामे स्कॉल द्वारा नामे प्राप्ति की स्वीकृति के दौरान किया जाएगा जो कि लेखा परीक्षा अनुभागों द्वारा बुक की गई राशि की निकासी के लिए कूट शीर्ष 76/020/83 को विपरीत घटाव प्राप्ति देते हुए सीधे बैंक अंतरण के विरुद्ध अथवा साख -पत्र से भारतीय स्टेट बैंक / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त राशियों पर आधारित होगा ।

The Audit Sections will not at all operate the code head 76/021/00 (RBI Deposit). This code head will be operated/used only by the Account Section of the Main Office while accepting the Deposit received from Focal Point Branch/Branches of the RBI through daily Debit Scroll based on the amount paid by SBI/RBI against Direct Bank Transfer or out of letter of credit by giving contra Minus receipt to code head 76/020/83 for clearing the amount booked by Audit Sections.

(ii) जिन मामलों में सीधे बैंक अंतरण का प्राधिकरण शामिल है, रुपये में प्राधिकृत राशि के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक को जारी पत्र के साथ-साथ

लेखा परीक्षा अनुभाग पंचिंग माध्यम तैयार करेगा तथा अशासकीय टिप्पणी पर नोट करेगा । विनिमय-दर में भिन्नता, बैंक कमीशन आदि के कारण अतिरिक्त व्यय से संबन्धित आगे के समायोजन लेखा परीक्षा अनुभाग द्वारा नामे सूचना की प्राप्ति पर किए जाएंगे जिसमें पंचिंग माध्यम के विवरण में पूर्व-समायोजित राशि तथा अब समायोजित शेष का स्पष्ट संकेत होना चाहिए ।

In cases involving authorization of Direct Bank Transfer, Audit Sections will prepare the punching medium simultaneously with the issue of letter to SBI based on the amount authorized in Rupees and noted on the U.O. Note. Further adjustment on account of extra expenditure due to variation in the Exchange Rate, Bank commission etc. will be carried out by the Audit Sections on receipt of debit advice indicating clearly in the narration of punching medium the amount of advice already adjusted and the balance now adjusted.

- (iii) जहां साख -पत्र खोले जाने हैं, उस समय कोई समायोजन नहीं किया जाना चाहिए । तथापि लेखा परीक्षा अनुभाग द्वारा नामे सूचना प्राप्त होने के प्रत्येक अवसर, जैसे साख -पत्र खोलने के प्रभार, विभिन्न बीजक भुगतान, आदि पर पंचिंग माध्यम तैयार किया जाएगा ।

Where Letter of credit are to be opened, no adjustment is to be made at that time. However, punching medium will be prepared by the Audit Sections on receipt of Debit advice on each occasion e.g. on account of charges for LC opening, various invoice payment, etc.

मुख्यालय कार्यालय के दिनांक 14.7.1995 के पत्र सं. ए/III/12159/92-93 के द्वारा जारी अनुदेशों की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है । परिपत्र में निदर्शित पद्धति के अनुसार पंचिंग मीडिया तैयार किया जाना चाहिए ।

A copy of instruction issued vide HQrs office letter No. A/III/12159/92-93 OF 14.7.1995 is enclosed for ready reference. The punching media should be prepared in the same manner as illustrated in the circular.

सभी बकाया साख -पत्रों / सीधे बैंक अंतरण, जिनका अंतिम लेखा शीर्ष में समायोजन किया जाना शेष है, से संबन्धित प्रतिपुष्टि तथा कार्य-योजना अधोहस्ताक्षरी को नाम से इस पत्र के जारी होने के 15 दिनों के भीतर प्रेषित किया जाए । इसे परम अग्रता प्रदान किया जाए ।

A feedback of all outstanding LCs/ Direct Bank Transfer, which are yet to be adjusted to final head of account and the action plan in this regard may please be sent by name to the undersigned within 15 days of issue of this letter. This may please be accorded top priority.

प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक से सलाह की गई है ।

PCDA has been consulted.

(कखग)

(XYZ)

समूह अधिकारी (लेखा)

GO (A/Cs)

प्रश्न / Q.5. डीआरडीओ के प्रयोगशालाओं के स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान, स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी यह पाया कि दिनांक 23 नवंबर, 1995 के सरकारी पत्र सं. डीबीएफए/एफए/10/6108/डी(आर&डी) में निहित प्रावधानों के विरुद्ध एक प्रयोगशाला संसाधन जनन गतिविधियों के लिए प्रयोगशाला निदेशक के नाम से रेखित चैक/ ड्राफ्ट द्वारा धन एकत्रित किया जा रहा है तथा उस धनराशि को लोक निधि खाते में जमा किया जा रहा है । यह भी पाया गया कि लोक निधि खाते में रखी गए उक्त धनराशि को सरकारी खजाने में समय के बाद जमा किया जा रहा था । दिनांक 23 नवंबर, 1995 के सरकारी पत्र सं. डीबीएफए/एफए/10/6108/डी(आर&डी) के संगत भाग के प्रतिलिपि परिशिष्ट - 4 में है ।

While conducting the local audit of Labs of DRDO, it was noticed by the LAO, that one of the Labs was collecting money for the research Generation Activities through crossed cheques/drafts favouring Director of Lab and depositing them in the Public Fund Account contrary to the provision contained in the Govt. Letter No. DBFA/FA/10/6108/ D (R&D) Dated 23rd Nov., 1995. It was also noticed that the money so kept in Public Fund Account was being deposited in the Govt. Treasury after a considerable lapse of time. Relevant portion of Govt. Letter No. DBFA/FA/10/6108/ D (R&D) Dated 23rd Nov., 1995 is reproduced at **APPENDIX -4.**

प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक ने इस स्थिति को देखते हुए चिंता व्यक्त की है तथा उन्होंने अगली मुख्य वित्तीय लेखांकन अनियमितता रिपोर्ट में इसके संभावित सम्मिलन से पूर्व प्रयोगशाला निदेशक के साथ मामले को उठाने का निर्णय लिया है । यह मानते हुए कि आप मुख्य कार्यालय के लेखा परीक्षा अनुभाग के अनुभाग अधिकारी (लेखा) हैं, प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक से प्रयोगशाला निदेशक को संबोधित एक अर्ध-शासकीय पत्र का मसौदा तैयार करें जिसमें इस अनियमितता की ओर परवर्ती का ध्यान आकर्षित करते हुए किए जाने वाले अपेक्षित सुधारात्मक उपाय तथा इस मामले में उनकी टिप्पणी / उत्तर आमंत्रित करें ।

The situation is viewed with concern by the Pr. CDA, who decides to take up the matter with the Director of the Lab before its possible inclusion in the next MFAI report. Assuming that you are the SO (A) in the audit section in the Main Office, please put up a draft DO letter from the PCDA to the Lab Director drawing his attention to this irregularity,

corrective measures required to be taken and calling for his comment/response in the matter.

(35 अंक / 35 Marks)

परिशिष्ट- 4 / APPENDIX -4

डीबीएफ़ए/एफ़ए/10/6108/डी (आर&डी)

DBFA/FA/10/6108/ D (R&D)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

Government of India, Ministry of Defence

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग

Deptt. Of Defence Research & Development

23 नवंबर, 1995 / 23 Nov., 1995

महानिदेशक

Director General,

रक्षा अनुसंधान एवं विकास

Defence research & Development,

नई दिल्ली

New Delhi

विषय : डीआरडीओ द्वारा संसाधन जनन (संगत भाग का सार) ।

Sub: Resource Generation by DRDO (Extract of Relevant portion)

महोदय / Sir,

1. बजट समर्थन के संपूर्ण के लिए संसाधन जनन के साथ-साथ डीआरडीओ विकसित प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए 1991 से असैनिक क्षेत्रक द्वारा सरकार से ध्यान प्राप्त हो रहा है ।

Resource generation to supplement budgetary support as well as to foster application of DRDO developed technologies in the non-defence sector has been receiving attention by the Government since 1991. Guidelines in this regard have been issued vide letter no DP&RM/RG/6100/RD (budget)/21/D (R&D) dated 1.1.93

2. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति ने इन गतिविधियों में कार्य-विधि के सरलीकरण द्वारा डीआरडीओ की दक्षता एवं प्रभाव में वृद्धि के लिए उपरोक्त दिशा-निर्देशों के परिशोधन को संस्वीकृति दी है ।

I am directed to convey the sanction of the President of India for revision of the above Guidelines with a view to increasing DRDO's efficiency and effectiveness in these activities through simplification of procedures.

3. भुगतान एवं प्राप्तियों से संबंधित अनुदेश / Instructions on Payments and Receipts:

(a) रक्षा लेखा नियंत्रक (अनु. व वि.) के नाम से रेखित चैक / ड्राफ्ट द्वारा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे तथा इन्हें सैन्य प्राप्य आदेशों द्वारा सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा ।

Payments will be received through crossed cheques/drafts in favour of CDA(R&D) and deposited in the Govt Treasury through MROs.

(b) प्रयोगशाला / स्थापना द्वारा प्रत्येक परियोजना को एक कार्य / संविदा संख्या सौंपा जाएगा तथा सैन्य प्राप्य आदेशों के अग्रेषण के दौरान उक्त की सूचना वेतन कार्यालय को दी जाएगी ।

Each project will be assigned a job/ contract No. by the Lab/Estt. and the same will be intimated to pay office while forwarding the MRO.

(c) संसाधन जनन गतिविधियों को सम्मिलित कर जमा निर्माणों के लिए सभी प्राप्तियाँ चिन्हित आरडीआर लेखा में जमा होना चाहिए न कि प्रयोगशाला / स्थापना के लोक निधि खाते में । लोक निधि में ऐसी प्राप्तियों को जमा करने के कुछ प्रयोगशाला(ओं) / स्थापना(ओं) में प्रचलित अभ्यास को अब से रोका जाए तथा इस उप-पैरा की कार्य-विधि का अनुसरण किया जाएगा ।

All receipts for Deposit Works, including resource generation activities, shall be deposited in the identified RDR account and not in Public Fund Account of the Lab. / Estt. Practice followed in some Lab(s)/Estt(s) to credit such receipts in the Public Fund will be stopped forthwith and procedure in this subpara will be followed.

भवदीय / Yours faithfully

भारत सरकार के अवर सचिव
Under Secretary to the Govt. of India

स्याही हस्ताक्षरित प्रतिलिपि प्रेषित

Ink signed copies to:

र.ले.नि. (आर&डी)

‘एल’ ब्लॉक

नई दिल्ली

CDA (R&D)

‘L’ Block

New Delhi

र.ले.नि. (आर&डी)

सीवी रमन नगर

एलआरडीई बंगलोर के समक्ष

CDA (R&D)

C.V Raman Nagar,

Opp. LRDE Bangalore

प्रतिलिपि प्रेषित / Copy to:

डीजीएडीएस

15/ एल- 11 ब्लॉक

नई दिल्ली

DGADS

15/L-11 Block

New Delhi

मुख्य सलाहकार (तकनीकी)

मुख्य नियंत्रक (अनु. व वि.)

संसाधनों के प्रमुख

Chief Adviser(Tech),

Chief Controller(R&D)

Chief of Resources

र.ले.म.नि.

पश्चिमी ब्लॉक-5, आर.के. पुरम

नई दिल्ली

CGDA

West Block-V, R.K.Puram,

New Delhi

संयुक्त निदेशक (वित्त व लेखा), डीबी

प्रभारी अधिकारी, सी- टीईसी

Jt. Director (Fin & Accounts), DB

officer-In-Charge, C-TEC

अपर वि.स.(आर)

के विंग, सेना भवन

नई दिल्ली

Addl FA(R),

K.Wing, Sena Bhawan,

New Delhi

निदेशक, अनु. व वि. मुख्यालय

निदेशक प्रयोगशाला/ स्थापना

र.ले.नि.(अनु. व वि.) के सभी अधीनस्थ कार्या.

Director at R&D HQrs

Director Lab/Estts

All Sub Officers of CDA(R&D)

उत्तर / Ans:

अ.शा.सं.

D.O.No.

प्र.र.ले.नि.(आर&डी) का कार्या.

O/o the PCDA(R&D)

‘एल’ ब्लॉक, चर्च रोड

‘L’ Block, Church Road,

नाम भा.र.ले.से.

Name:.....,IDAS

प्र.र.ले.नि.

PCDA

नई दिल्ली- 110001

New Delhi- 110 001.

प्रिय / Dear.....

आपके प्रयोगशाला के रोकड़ निरीक्षण रिपोर्ट में स्थानीय लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा यह रिपोर्ट किया गया कि संसाधन जनन गतिविधियों से संबन्धित प्राप्तियाँ निदेशक के नाम से रेखित चैक/ ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त की जा रही है तथा उसे को लोक निधि खाते में जमा किया जा रहा है । इसके पश्चात लोक निधि खाते में रखी गए उक्त धनराशि को प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (आर&डी) के नाम से सैन्य प्राप्य आदेश द्वारा सरकारी खजाने में जमा किया जा रहा है । इस धनराशि का सरकारी खजाने में विलंब से जमा किए जाने को स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा गौर किया गया है ।

It has been reported by the LAO in his Cash Inspection Report of your Lab that receipts on account of Resource Generation Activities are being received through crossed cheques/drafts favoring the Director and are being deposited into the Public Fund Account. Thereafter the money so deposited into the Public Funds is further deposited into Govt. Treasury through MROs prepared in favor of Pr. CDA(R&D). Delay in deposit of this money in the Govt. Treasury has also been noticed by the LAO.

2. इस परिप्रेक्ष्य में मैं, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 23.11.1995 के पत्र सं. डीबीएफए/एफए/10/6108/डी (आर&डी) के पैरा 7 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो यह स्पष्ट करता है कि “भुगतान की प्राप्ति प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (आर&डी) के नाम से रेखित चैक/ ड्राफ्ट के द्वारा प्राप्त की जाएगी तथा सैन्य प्राप्य आदेश द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाएगी” । इसमें आगे उल्लिखित है कि “संसाधन जनन गतिविधियों को सम्मिलित कर जमा निर्माणों के लिए सभी प्राप्तियाँ चिन्हित आरडीआर लेखा में जमा की जाएगी न कि प्रयोगशाला / स्थापना के लोक निधि खाते में । लोक निधि में ऐसी प्राप्तियों को जमा करने के कुछ प्रयोगशाला(ओं) / स्थापना(ओं) में प्रचलित अभ्यास को अब से रोका जाए तथा इस उप-पैरा की कार्य-विधि का अनुसरण किया जाएगा ।

In this context, I would like to draw your attention to Para 7 of the Govt. of India, Ministry of Defence letter No. DBFA/FA/10/6108/D(R&D) Dated 23rd Nov. 1995, which clearly provides that “payments will be received through crossed cheques/drafts in favor of Pr. CDA(R&D) and deposited in the Govt. Treasury through MROs”. It further mentions that “all receipts for Deposit Works, including resource generation activities, shall be deposited in the identified RDR account and not in Public Fund account of the Lab/Estt. Practice followed in some Lab(s)/Estt(s) to credit such receipts in the Public Fund Account will be stopped forthwith and procedure in this sub para will be followed.

3. चूंकि आपके प्रयोगशाला में चली आ रही प्रथा निर्धारित अनुदेशों के विरुद्ध है, जिसके परिणामस्वरूप आपके प्रयोगशाला के लोक निधि खाते में सरकारी धन का धारण हो रहा है, यह मुख्य अनियमितता गठित करता है, आगामी मुख्य वित्तीय अनियमितता रिपोर्ट में इसके संभावित सम्मिलन हेतु विचाराधीन है। तथापि, रिपोर्ट में सम्मिलन से पूर्व मैंने इस मामले को आपके ध्यान में लाना और इस पर आपकी टिप्पणी प्राप्त करना उचित समझा। मैं आपको यह सलाह देता हूँ कि आपके प्रयोगशाला के लोक निधि में संसाधन जनन गतिविधियों से संबन्धित प्राप्ति को जमा करने की प्रचलित प्रथा को अब से रोकने तथा भविष्य में बिना विलंब किए सैन्य प्राप्य आदेश तैयार करने के अगले निदेश के साथ रक्षा मंत्रालय के दिनांक 23.11.1995 के पत्र में उल्लिखित सही कार्य-विधि का पालन करने हेतु अनुदेश जारी करें।

Since the practice followed in your Lab is in contravention of the laid down instructions, resulting into holding of Govt. money in Public Fund Account of your Lab, it constitutes a financial irregularity which is currently under consideration for its possible inclusion in the ensuing Major Financial and Accounting Irregularities Report. However, before doing that I thought it appropriate to bring this to your notice and seek your comments in the matter. I would also advise you to issue instructions to stop forthwith the practice of receiving payments on account of Resource Generation Activities in the Public Fund Account of your Lab and observance of the correct procedure as outlined in MoD letter dated 23rd Nov, 95 with further direction for the preparation of MROs without delay in future.

सहित /With

आपका /Yours

डॉ./Dr.....

निदेशक/Director

प्रयोगशाला क/Lab X

प्रश्न /Q.6. हवाई यात्रा के लिए गैर-हकदार तथा नागपुर में तैनात एक रक्षा सिविलियन ने 4 वर्षीय छुट्टी यात्रा रियायत पर नागपुर से कोलकाता के बीच हवाई यात्रा की एवं हवाई भाड़े को राजधानी के हकदारी श्रेणी के भाड़े तक सीमित करते हुए प्रतिपूर्ति मांगी। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.5.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/2/2006-स्था. (ए), जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट – 5 में है, में निहित स्पष्टीकरणों के आलोक में उनके दावे की जांच करें तथा आपके लेखा

अधिकारी द्वारा दावे की स्वीकार्यता अथवा अन्यथा की संस्तुति पर विचार करने हेतु एक कार्यालय टिप्पणी प्रस्तुत करें ।

A Defence Civilian not entitled to travel by air and posted at Nagpur traveled on 4 year LTC between Nagpur and Kolkata by Air and sought reimbursement of the air fare by restricting it to Rajdhani fare by the entitled class. Please examine his claim in the light of the clarifications contained in the DoPT OM No. 31011/2/2006-Estt. (A) dated 21.5.2007, reproduced in APPENDIX-5, and put up an office note for the consideration of your Accounts Officer recommending admissibility or otherwise of the claim.

(35 अंक/35 Marks)

परिशिष्ट /APPENDIX-5

सं. 31011/2/2006-स्था.(ए)

No.31011/2/2006-Estt(A)

भारत सरकार

Government of India

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

कार्मिक एवं प्रशिक्षण प्रभाग

Department of Personnel & Training Division

दिनांक 21 मई 2007

Dated 21st May, 2007

कार्यालय ज्ञापन

OFFICE MEMORANDUM

विषय : छुट्टी यात्रा रियायत का उपभोग करते समय निजी एयरलाइन्स द्वारा यात्रा संबंधी विनियम ।

Sub: Regulation of journeys by private airlines while availing Leave Travel Concession.

1. अधोहस्ताक्षरी को यह निदेश दिया जाता है कि छुट्टी यात्रा रियायत का उपभोग करते समय निजी एयरलाइन्स द्वारा की गई यात्रा के नियमितीकरण हेतु इस विभाग के दिनांक 24.4.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/2/2006- स्था. (ए) का अवलोकन करें जिसमें यह कहा गया है कि गैर-हकदार अधिकारियों द्वारा रेल से जुड़े स्थानों के बीच यात्राएं अनुमत की जाए बशर्ते भाड़े की प्रतिपूर्ति राजधानी / शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर अन्य रेल के हकदारी श्रेणी तक सीमित किया जाए ।

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 31011/2/2006-Estt(A) dated 24th April, 2006, regarding regularization of journey by private airlines while availing Leave Travel Concession (LTC), where it has been inter alia stated that journeys by non-entitled officers between

places connected by train may be allowed, provided the reimbursement of the fare would be restricted to the entitled class by Rail other than Rajdhani/Shatabdi Express.

2. उपरोक्त प्रावधान के आंशिक आशोधन में अब यह निर्णय लिया गया है कि राजधानी / शताब्दी एक्सप्रेस के लिए लागू दरों पर भी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाए, बशर्ते सरकारी कर्मचारी उसका हकदार हो तथा सरकारी कर्मचारी का मुख्यालय / यात्रा प्रारम्भ करने के लिए अनुमेय स्थान एवं गृह नगर / गंतव्य स्थान अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत के अंतर्गत उपरोक्त रेल द्वारा जुड़े हो और जिन दो स्टेशनों के बीच हवाई यात्रा की गई है वे स्टेशन राजधानी / शताब्दी जैसे ट्रेनों से जुड़े हो तो प्रतिपूर्ति को वास्तविक व्यय तक सीमित किया जाए। इस आदेश के शर्तों पर सभी लंबित मामलों का तदनुसार निपटान किया जाए। तथापि, निपटान किए गए पूर्व मामलों को पुनः नहीं खोला जाए।

In partial modification of the above provision, it has now been decided that the reimbursement may also be given at the rates applicable for Rajdhani/Shatabdi Express trains, provided the Government servant is entitled to it and the Headquarter of the Government servant/ permissible place of commencement of journey and the home town/destination under All India LTC is directly connected by the above mentioned trains and two stations between which the air travel has been performed are connected by Rajdhani/Shatabdi type trains, the reimbursement would be limited to the actual expenditure. All pending cases may be settled accordingly in terms of this order. However, past cases already settled will not be reopened.

3. इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के तारीख से उपरोक्त आदेश प्रभावी होंगे।

The above orders will be applicable with effect from the date of issue of this Office Memorandum.

4. भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों पर ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ परामर्शोपरांत जारी कर लागू होंगे।

In their application to the staff serving in the Indian Audit and Accounts Department, these orders issue after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

5. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) से परामर्श के बाद उनके दिनांक 9 मई, 2007 के आई.डी. सं. 84/ई-4/2007 द्वारा यह जारी है।

This issues in consultation with Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide their I.D.No.84/E-IV/2007 dated 9th May,2007.

ह./- Sd/-

भारत सरकार के उप सचिव

Deputy Secretary to the
Govt. of India

सेवा में / To,

अतिरिक्त प्रतियों की प्रायिक संख्या सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग

All Ministries/Departments of the Government of India with usual number of spare copies.

प्रतिलिपि प्रेषित / Copy to :

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
President Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. उप-राष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली
Vice-President's Secretariat, New Delhi
3. प्रधानमंत्री का कार्यालय, दक्षिण ब्लॉक, नई दिल्ली
Prime Minister's Office, South Block, New Delhi
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
Cabinet Secretariat, New Delhi
5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
Comptroller and Auditor General of India, New Delhi
6. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली
Central Vigilance Commission, New Delhi
7. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
Union Public Service Commission, New Delhi
8. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली
Staff Selection Commission, New Delhi
9. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली
Central Bureau of Investigation, New Delhi
10. सभी केंद्र शासित प्रदेश अनुशासन
All Union Territory Administration
11. लोक सभा / राज्य सभा सचिवालय
Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat

12. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय
All attached and Subordinate Offices of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and Ministry of Home Affairs.
13. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी
All Officers and Sections of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and Ministry of Home Affairs.
14. वेबसाइट अनुभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
Website Section, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, North Block, New Delhi.
15. सुविधा केंद्र, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 25 प्रतियाँ
Facilitation Centre, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, North Block, New Delhi -25 copies.
16. 200 अतिरिक्त प्रतियाँ / 200 spare copies.

उत्तर / Ans:

सं. प/प्र.र.ले.नि./एल.टी.सी./108
No. T/PCDA/LTC/108

कार्यालय टिप्पणी / Office Note
(परिवहन अनुभाग / T Section)

श्री क, नागपुर में तैनात रक्षा सिविलियन जिंहोंने वर्तमान 4 वर्ष ब्लॉक अवधि के लिए नागपुर से कोलकाता जाने हेतु छुट्टी यात्रा रियायत का उपभोग किया, उनसे संबन्धित छुट्टी यात्रा रियायत पर व्यय की प्रतिपूर्ति का फुटकर बिल नीचे प्रस्तुत है। व्यक्ति ने नागपुर से कोलकाता तक हवाई यात्रा की है तथा हवाई-भाड़ा की प्रतिपूर्ति राशि को राजधानी एक्सप्रेस के हकदारी श्रेणी तक सीमित करने का अनुरोध किया है।

Placed below is a contingent bill where reimbursement has been sought for expenditure on account of LTC in respect of Shri X, a Defence Civilian posted at Nagpur who availed LTC from Nagpur to Kolkata for the current 4 Year Block period. The individual has performed the journey by air from

Nagpur to Kolkata and requested to restrict the amount of reimbursement of air fare by entitled class of Rajdhani express.

2. व्यक्ति हवाए यात्रा करने के हकदार नहीं है । तथापि, वित्त मंत्रालय के दिनांक 21.5.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/2/2006-स्था. (ए) (ध्वज “क” में प्रस्तुत) द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत के अंतर्गत गैर-हकदार व्यक्तियों के लिए हवाई भाड़े की स्वीकार्यता को राजधानी / शताब्दी एक्सप्रेस के हकदार श्रेणी तक सीमित किया जाएगा बशर्ते सरकारी कर्मचारी का मुख्यालय / यात्रा प्रारम्भ करने के लिए अनुमेय स्थान एवं गृह नगर / गंतव्य स्थान राजधानी / शताब्दी एक्सप्रेस से सीधे जुड़े हो ।

The individual is not entitled to travel by air. However, Min of Finance vide its Memo No. 31011/2/2006-Estt(A) dated 21.5.2007 (placed at Flag ‘A’) have decided that the admissibility of air fare for the non-entitled persons under All India LTC will be restricted to the entitled class of the Rajdhani/Shatabdi Express provided the HQrs of the Govt. Servant/permissible place of commencement journey and the Home Town/ Destination are directly connected by Rajdhani/Shatabdi Express.

3. चूंकि नागपुर एवं कोलकाता राजधानी / शताब्दी एक्सप्रेस से सीधे जुड़े नहीं हैं, वर्तमान मामले में वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन में विहित प्रावधानों के आलोक में श्री क की प्रतिपूर्ति को राजधानी / शताब्दी एक्सप्रेस के अलावा अन्य रेल के हकदारी श्रेणी तक सीमित किए जाने का प्रस्ताव है ।

In the present case, since Nagpur & Kolkata are not directly connected by Rajdhani/ Shatabdi Express, reimbursement to Shri X is proposed to be restricted to the entitled class by Rail other than Rajdhani/Shatabdi Express in the light of the provisions contained in Office Memo of Ministry of Finance.

आदेशार्थ प्रस्तुत ।

Submitted for orders please.

अ.अ.(ले)/SO(A)

ले.अ.(परि.)/AO(T)